

अंतिम डिक्री मुकदमा इबदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

1. नन्दनसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र बालसिंह
 2. सवाईसिंह आयु 35 वर्ष पुत्र मूलसिंह
 3. विजयसिंह आयु 25 वर्ष पुत्र मूलसिंह
 4. राजकंवर आयु 55 वर्ष बेवाह मूलसिंह
 5. गणपतसिंह आयु 20 वर्ष पुत्र मूलसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम गरण्डवा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज।
-वादीगण


बनाम

1. नानूसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र हरिसिंह
 2. प्रतापसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र लालसिंह
 3. राजेन्द्रसिंह आयु 35 वर्ष पुत्र समुन्द्रसिंह
 4. सुरेशसिंह आयु 23 वर्ष पुत्र समुन्द्रसिंह
 5. भंवरसिंह आयु 63 वर्ष पुत्र हरिसिंह
 6. दोलतसिंह आयु 45 वर्ष दत्तक पुत्र रामसिंह
 7. उम्मेदसिंह आयु 35 वर्ष पुत्र भंवरसिंह
 8. पृथ्वीसिंह आयु 25 वर्ष पुत्र भंवरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गरण्डवा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज.
 9. जिला कलक्टर महोदय, सीकर
-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर - 144/2013 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री रिडमल सिंह एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री भीमसिंह मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि ग्राम गरण्डवा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 44/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे व वादीगण के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे व दूसरों से नहीं करावे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

..... X मुबलिक X बाबत X खर्चा
 X फीसदी सालाना आज की तारीख
 X को अदा करें।

..... नरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 17.04.2018 सन् 2018 को जारी
 किया गया।



नोहर

दस्तख्त
 ओहदा उपसल्लद अधिकारी
 सुमान्य के.वाटी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	02.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	07.00	00	मुतफरिक	02.00	00
मीशान	11.00	00	मीजान		

नोट:- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना